उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P.POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ
CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्याः 563 -अ०प्र०-04/पा०का०लि० दिनांकः 10/03/2025

कार्यालय ज्ञाप

एतद्‌द्वारा अधोलिखित सहायक अभियन्ता को कारपोरेशन कार्यहित में स्तम्भ-3 में अंकित उनके वर्तमान तैनाती इकाई से स्थानान्तरित कर स्तम्भ-4 में उल्लिखित निगम/कार्यालय को तैनाती हेतु आवंटित किया जाता हैः-

क्र. सं.	नाम, अभिज्ञान सं./सैप आई.डी./गृह जनपद/ सेवानिवृत्ति तिथि	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	स्थानान्तरण के पश्चात आवंटित निगम/कार्यालय
1	2	3	4
1.	श्री सुखवीर सिंह/2020009 /11003267/सुल्तानपुर/ 30.11.2054	सम्बद्ध निदेशक (तकनीकी), म.वि.वि.नि.लि.	यू.पी.एस.एल.डी.सी.लि., विभूति खण्ड, लखनऊ

2. उपरोक्त अभियन्ता को प्रबन्ध निदेशक, यू.पी.एस.एल.डी.सी.लि. के अनुरोध पर यू.पी.एस.एल.डी.सी.लि. में तीन वर्ष अथवा अग्रिम आदेश, जो भी पहले हो, तक secondment के रूप में तैनाती प्रदान की जाती है। उक्त अवधि के पश्चात यह तैनाती समाप्त मानी जाएगी।
3. निदेशक, यू.पी.एस.एल.डी.सी.लि. उपरोक्त अभियन्ता को तीन वर्ष अथवा अग्रिम आदेश, जो भी पहले हो, के पश्चात यू.पी.एस.एल.डी.सी.लि. से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यमुक्त कर देंगे।
4. उपरोक्त अभियन्ता यू.पी.एस.एल.डी.सी.लि. से कार्यमुक्त होने के पश्चात कारपोरेशन (मु.) अथवा नव तैनाती स्थल, जो भी लागू हो, में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। यदि तीन वर्ष अथवा निर्धारित अवधि के उपरान्त वह नव तैनाती स्थल पर आकर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो यह समझा जाएगा कि वह नव तैनाती स्थल पर कार्य करने के इच्छुक नहीं हैं, तद्‌नुसार विभागीय प्रक्रिया आरम्भ कर दी जाएगी।
5. उक्त तैनाती आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्याः 79/1997 में दिये गये निर्णय दिनॉक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।
6. स्थानान्तरण नीति के प्रस्तर-9(।) में निहित प्राविधानानुसार इकाई प्रमुख/नियंत्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित सहायक अभियन्ता को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये स्थानीय व्यवस्था से तत्काल कार्यमुक्त कर उनके कार्यमुक्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. नियंत्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश संख्याः 5910-गोपन(06)/पाकालि/2001, दिनॉक 11.06.2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतीकरण नियमानुसार सुनिश्चित करें।

8. यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न हैं, उस दशा में कार्यालय ज्ञाप में अंकित कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम प्रत्येक व्यावहारिक उद्‌देश्य के लिए मान्य होगा।

अध्यक्ष

संख्याः 563 -अ०प्र०-04/पा०का०लि०, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु कृपया प्रेषितः-

1. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/समस्त निदेशक के निजी सचिव, उ.प्र.पा.का.लि./उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि. लखनऊ।
2. निदेशक, यू.पी.एस.एल.डी.सी.लि., लखनऊ को बिन्दु सं. 3 के अनुरूप ससमय कार्यवाही हेतु।
3. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (तकनीकी), म.वि.वि.नि.लि., लखनऊ।
5. उप सचिव (गोपन)/अनु सचिव (गोपन), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली।

10/03/2025

(उमेश सिंह यादव)
उप सचिव (04)